(44)

संख्याः /xxvii–3–7/2011

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 01 ~~जुलाई~~ अगस्त 2011

विषयः भूतपूर्व विधानसभा सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रितों को चिकित्सा सुविधा के संबंध में।

महोदय,

उत्तरप्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1946 यथा संशोधित 1968, 1977 तथा उत्तरप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश जो उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरप्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत यथाप्रभावी हैं के क्रम में पूर्व प्राविधिानित व्यवस्थाओं को यथावत रखते हुए सभी के संज्ञान में लाये जाने का निर्णय शासन द्वारा विचारोपरान्त लिया गया है।

उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 1946 (यथापुनरिक्षित 1968 एवं 1977) उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त।
6133/पॉच/7–3484/71 दिनांक 04–12–1979
3824/पॉच/7–1033/81 दिनांक 31–12–1981
761/5/7–1140/86 दिनांक 22–04–1987
3203/5–7–10–25–8/87 दिनांक 24–06–1987
MM/855/5–7–1035–86 दिनांक 24–6– 1987
3652/5–7–1035/86 दिनांक 03–10–1988
1401/5–7–1035/86 दिनंक 11–05–1989
1402/5–7–1035/86 दिनांक 11–05–1989
5850/5–7–1035/86 दिनांक 06–01–1990

2– पार्श्वांकित शासनादेशों में उत्तरप्रदेश राज्य में सरकारी कर्मचारी /अधिकारी (कार्यरत/सेवानिवृत्त) तथा उनके परिवार के सदस्य, शासन के मा0 मंत्री , मा0 विधानसभा सदस्य , मा0 भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके परिवार के आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3– मा0 विधानसभा के सदस्यों एवं उनके परिवार के आश्रितों को सरकारी चिकित्सालयों में चिकित्सा संबंधी सुविधायें प्रदान किये जाने की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन) विधेयक 2005 यथा संशोधित 2010 में प्राविधानित है।

4– उत्तरप्रदेश शासन के शासनादेश सं0 3824/5–/7–1033/81चिकि0 अनुभाग–7 दिनांक , लखनऊ 31 दिसम्बर 1981 के द्वारा भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है तथा उनके परिवार के आश्रितों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों, डिस्पेनशरीयों में उसी स्तर और उसी सीमा तक की चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क अनुमन्य करायी गयी हैं जो उन्हें विधायक के रूप में प्राप्त थी।

5– उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 522–2/601(36–56) दिनांक 04 अप्रैल 1956 में मा0 मंत्री, मा0 विधानसभा के सदस्यों को राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

6– उत्तराखण्ड शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियें (सेवारत/सेवानिवृत्त) के संबंध में शासनादेश संख्या 679/चिकि–3–2006–437/2002 दिनांक 4–9–2006 एवं 58/xxvii(7)/पे.2006 दिनांक 18–05–2006 के माध्यम से चिकित्सा परिचर्या के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अतः इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पार्श्वांकित शासनादेशों एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत चिकित्सा परिचर्या निर्देशों के अनुरूप प्रकरणों को व्यवहरित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः 618 /xxvii–3–7/2011 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड विधान सभा।
4. स्टॉफ–अफसर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव मा0 अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण।
10. समस्त मुख्यचिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. NIC.
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0के0 पंत)
अपर सचिव।